IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

P.S-128-2008

KANHAIYA LAL GUPTA & OTHERS.....PLAINTIFFS
Vs.
UMESH KUNWAR & Others.....DEFENDANTS

ORDER

20.12.21 वादी के संशोधन आवेदन दिनांक– 05.03.2020 तथा उसके प्रत्युत्तर दिनांक– 20.12.21 पर दोनों पक्षों को सुना।

वादीगण का अपने आवेदन में कथन है कि साक्ष्य की तैयारी के दौरान प्रार्थी वादीगण को कुछ तथ्यों की जानकारी हुई जिस वजह से संशोधन आवेदन दाखिल किया गया एवं संशोधन होना आवश्यक है, जिससे वाद के प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अपने प्रत्युत्तर में प्रतिवादी प्रथम पक्ष का कथन है कि वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन पूर्णतः गलत और लम्बा खींचने के लिए दिया गया है। यह कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने अपने प्रतिवादपत्र में वर्ष 2008 में मकान बनाकर सपरिवार रहने की बात कही है, परन्तु वादी द्वारा वर्ष 2021 में बेदखल की बात हस्यास्पद है। यह कि वादी एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष एवं प्रतिवादी चतुर्थ पक्ष के बीच विभाजन वाद 48/1995 चला था, जिसमें संधिपत्र दाखिल कर संधि के आलोक में प्रारम्भिक डिक्री पारित हुआ था, जिसमें विवादित भूमि वादी के हिस्से में नहीं, बल्कि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष दिनेश साह को मिला था। प्रतिवादी की ओर से वादी के आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की गई।

अभिलेख का अवलोकन किया। उभय पक्षों को सुना। वादीगण द्वारा प्रस्तावित संशोधन के द्वारा प्रस्तावित संशोधन सं0 3 के द्वारा वादपत्र के पारा–19 'क' के अंत में निम्न पारा जोड़ने की बात कही गई है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष को निश्चित तिथि देकर मद सं0–2 की ऐराजी का दखल–कब्जा वादीगण को देने का आदेश दिया जाए। परन्तु मूल वादपत्र में पारा–19 'ख' में प्रतिवादी प्रथम पक्ष के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा एवं वादीगण के मौरूसी आवासीय मकान पर दखल–कब्जा में हस्तक्षेप नहीं करने की बात कही गई है। ऐसी स्थिति वादीगण संशोधन के द्वारा दखल–कब्जा की मांग करते हैं, जबकि मूल वादपत्र में उनके दखल–कब्जा पर प्रतिवादीगण को हस्तक्षेप करने से रोकने की मांग करते हैं। उक्त दोनों मांग एक–दूसरी के विरुद्ध है। इसीलिए वादीगण का संशोधन आवेदन दिनांक– 05.03.2020 खारिज किया जाता है।

दिनांक– 28.02.2022 वास्ते साक्ष्य वादी की ओर से।

20/12/2021

अवर न्यायाधीश